



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नांगल

दिनांक 01.06.2024

थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 106/24 धारा 323/504/506/452/376 भादवि में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.05.2024 को वादिनी द्वारा थाना नांगल पर तहरीर दी कि अभियुक्त अजहर पुत्र इस्माईल निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के घर में घुसकर वादिनी के साथ गलत काम किया गया तथा वादिनी के ससुर द्वारा शिकायत की गयी तो अभियुक्त अजहर पुत्र इस्माईल व इस्माईल पुत्र नत्थु निवासीगण ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के ससुर के साथ मारपीट की गई । इस संबंध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 106/24 धारा 323/504/506/452/376 भादवि बनाम अजहर व इस्माईल उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.06.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा पर मु0अ0सं0 106/24 धारा 323/504/506/452/376 भादवि में वांछित अभियुक्त अजहर पुत्र इस्माईल निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अजहर पुत्र इस्माईल निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-श्री अशोक कुमार, थाना प्रभारी नांगल जनपद बिजनौर ।

2-आरक्षी 1074 राजीव थाना नांगल जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट—थाना नजीबाबाद

दिनांक 01.06.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण—

जनपद बिजनौर में वाहन चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी किये गये वाहनों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.06.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त शेर अली उर्फ सौकत अली निवासी मौ0 बांसफोडान कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को चोरी की गयी मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर फर्जी नंबर प्लेट (यूपी 20 बीएच 9896) लगी हुयी सहित गिरफ्तार किया गया। ई—चालान ऐप के माध्यम से ज्ञात हुआ उक्त मोटरसाइकिल का रजि नं0—(यूपी20बीई 9896) है। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 278/24 धारा 411/420/482 भादवि पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



अभियुक्त से बरामद उपरोक्त मोटरसाइकिल अभियुक्त द्वारा थाना नगीना क्षेत्र से चोरी की गयी थी। जिस संबंध में थाना नगीना पर उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में मु0अ0सं0 65/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1.शेर अली पुत्र सौकत अली निवासी मौ0 बांसफोडान थाना नजीबाबाद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण—

1—एक मोटरसाइकिल रजि नं0— यूपी 20 बीई 3137 सुपर स्पलेण्डर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1.उ0नि0 कय्यूम अली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 सौरभ सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3.मुख्य आरक्षी 453 नेत्रपाल राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना स्योहारा

दिनांक 01.06.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 173/24 धारा 323/307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.05.2024 को वादी श्री पंकज पुत्र नौवत सिंह निवासी ग्राम मिर्जालीपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.मंगल सिंह पुत्र नामालूम 2.विशाल पुत्र मंगल सिंह 3.विकास पुत्र मंगल सिंह निवासीगण ग्राम मिर्जालीपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के भाई वीरेन्द्र सिंह के साथ गाली गलौच की गयी तथा अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई को जान से मारने की नियत से चाकू से वार कर घायल कर दिया व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 173/24 धारा 323/307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.06.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 173/24 धारा 323/307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त विकास पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम मिर्जालीपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.विकास पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम मिर्जालीपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी 678 सतीश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक- 01.06.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त बृजेश पुत्र कृष्णा उर्फ कृष्ण कुमार निवासी ग्राम धर्मनगरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. बृजेश पुत्र कृष्णा उर्फ कृष्ण कुमार निवासी ग्राम धर्मनगरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1.उ0नि0 तेजवीर सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

2.का0 1812 आकाश थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



BIJNORPOLICE



महिला थाना व परिवार परामर्श केन्द्र

माह मई – 2024

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में महिला थाना (बिजनौर/चांदपुर) व महिला परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा वैचारिक मतभेद की वजह से टूटने वाले परिवार के विवादों को निरन्तर सुना जा रहा है। इन विवादों में पुलिस अधिकारी व विभिन्न क्षेत्रों से नामित सदस्यों की ओर से दोनों पक्षों की बातों को विधिवत सुना जाता है तथा सूझ-बूझ से पति-पत्नी के मध्य आपसी मनमुटाव व कलह को दूर करते हुए परिवारों को बिखरने से बचाने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

माह मई – 2024 में महिला परामर्श केन्द्र व महिला थाना (बिजनौर/चांदपुर) को प्राप्त शिकायतों में परिवार को एकजुट करने की दिशा में महिला परामर्श केन्द्र द्वारा 69 परिवारों व महिला थाना (बिजनौर/चांदपुर) द्वारा 139 परिवारों (कुल – 208) के विवादों का निस्तारण किया गया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए रवाना किया गया।





प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक 01.06.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माह मई – 2024 में मा0 न्यायालय द्वारा 33 अभियोगों में 41 अभियुक्तों को कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप **माह मई – 2024** में जनपद बिजनौर के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 33 अभियोगों में 41 अभियुक्तों को दण्डित किया गया, जिसमें से **05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** विवरण निम्नवत है।


दिनांक 01.05.2024 से दिनांक 31.05.2024 तक दण्डित किये गये अभियुक्तों का विवरण -

क्र0 सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा	सजा का दिनांक	अपराध	सजा का विवरण	अभि0 की सं0
1	शिवालाकला	36/20	411 भादवि	01.05.23	अन्य	01 वर्ष कारावास व ₹ 2000 /- अर्थदण्ड	1
2	शिवालाकला	37/20	4/25 आर्म्स एक्ट	01.05.23	अन्य	02 वर्ष कारावास व ₹ 3000 /-अर्थदण्ड	1
3	नुरपुर	110/18	279/338 भादवि	03.05.24	अन्य	मा0 न्या0 उठने तक की सजा व ₹ 2000/- अर्थदण्ड	1
4	नजीबाबाद	378/17	307/328/302 भादवि	06.05.24	जघन्य	आजीवन कारावास व ₹ 10,000 /- अर्थदण्ड	1
5	स्योहारा	254/20	498ए/304बी/3 02/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट	10.05.24	जघन्य	03 वर्ष कारावास व ₹ 16,000 /- अर्थदण्ड	1

6	मण्डावली	235/21	376 ए बी भादवि व 5 डी/6 पॉक्सो एक्ट	15.05.24	पॉक्सो	30 वर्ष कारावास व ₹ 1 लाख अर्थदण्ड	1
7	बढापुर	104/1996	379/411 भादवि व 5/26 वन अधि०	15.05.24	अन्य	प्रत्येक को 03 वर्ष कारावास व प्रत्येक को ₹ 4500/- अर्थदण्ड	6
8	नजीबाबाद	30/21	294 भादवि	16.05.24	अन्य	मा० न्या० उठने तक की सजा व ₹ 1500/- अर्थदण्ड	1
9	चांदपुर	320/22	376 AB भादवि व 6 पोकसो एक्ट	16.05.24	पोकसो	20 वर्ष कारावास व ₹ 25,000 अर्थदण्ड	1
10	स्योहारा	949/2006	13 सार्वजनिक जुआ अधि०	18.05.24	अन्य	मा० न्या० उठने तक की सजा व ₹ 100/- अर्थदण्ड	1
11	कोतवाली देहात	172/23	302 भादवि	20.05.24	जघन्य	आजीवन कारावास की सजा व ₹ 50,000 /- अर्थदण्ड	1
12	स्योहारा	521/16	13 जी एक्ट	21.05.24	अन्य	मा० न्या० उठने तक की सजा व ₹ 100/- अर्थदण्ड	1
13	स्योहारा	131/16	60/63 आबकारी अधि०	22.05.24	अन्य	मा० न्या० उठने तक की सजा व ₹ 600/- अर्थदण्ड	1
14	बढापुर	128/95	382 भादवि व 5/26 वन अधि०	22.05.24	अन्य	प्रत्येक को 02 वर्ष कारावास व ₹ 2200/- अर्थदण्ड	3
15	धामपुर	13/20	363/376 भादवि व 4 पोकसो एक्ट	23.05.24	पोकसो	10 वर्ष कारावास व ₹ 15,000 /- अर्थदण्ड	1
16	कोतवाली शहर	1124/19	307/34/302/3 4 भादवि	23.05.24	जघन्य	आजीवन कारावास व ₹ 70,000 /- अर्थदण्ड	1
17	कोतवाली शहर	1127/19	25 आम्स एक्ट	23.05.24	अन्य	05 वर्ष कारावास व ₹ 10,000 /- अर्थदण्ड	1

18	हीमपुरदीपा	167/15	376/342/323/ 506 भादवि	23.05.24	जघन्य	अभि0 गोविन्द को 01 वर्ष कारावास व ₹ 2000 /- अर्थदण्ड 2.अभि0 रामौतार को 07 वर्ष कारावास व ₹ 9,000/- अर्थदण्ड	2
19	नांगल	37/23	304 भादवि	24.05.24	जघन्य	05 वर्ष कारावास व ₹ 15,000/- अर्थदण्ड	1
20	स्योहारा	157/19	363 भादवि	24.05.24	पॉक्सो	3 वर्ष 1 माह का कारावास व ₹ 20,000/- अर्थदण्ड	1
21	नगीना	582/20	363/366/376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट	28.05.24	पॉक्सो	आजीवन कारावास व ₹ 12,000 /- अर्थदण्ड	1
22	किरतपुर	235/18	498 ए /304बी/302/3 4 भादवि व 4 डीपी एक्ट	29.05.24	जघन्य	आजीवन कारावास व ₹ 30,000 /- अर्थदण्ड	1
23	कोतवाली शहर	1236/13	135/138बी विद्युत चोरी अधि0	30.05.24	अन्य	01 वर्ष कारावास व ₹ 12,000 /- अर्थदण्ड	1
24	हीमपुर दीपा	05/23	380/411/34 भादवि	31.05.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व ₹ 500 /- अर्थदण्ड	1
25	कोतवाली शहर	67/24	4/25 आर्म्स एक्ट	31.05.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व ₹ 100 /- अर्थदण्ड	1
26	रेहड	47/23	379/411 भादवि	31.05.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व ₹ 500 /- अर्थदण्ड	1
27	अफजलगढ	250/23	379/411 भादवि	31.05.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व ₹ 500/- अर्थदण्ड	1

28	कोतवाली शहर	164/24	379/7411 भादवि	31.05.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व ₹ 500 /- अर्थदण्ड	1
29	स्योहारा	609/23	380/411 भादवि	31.05.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व ₹ 500 /- अर्थदण्ड	1
30	धामपुर	161/23	379/411 भादवि	31.05.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व ₹ 500 /- अर्थदण्ड	1
31	कोतवाली शहर	770/20	380/411 भादवि	31.05.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व ₹ 500 /- अर्थदण्ड	1
32	कोतवाली शहर	637/23	379/411 भादवि	31.05.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व ₹ 500 /- अर्थदण्ड	1
33	कोतवाली शहर	658/22	4/25 आर्म्स एक्ट	31.05.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व ₹ 100/- अर्थदण्ड	1





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नजीबाबाद

दिनांक 01.06.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 251/2024 धारा 366/323/506 भादवि में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 24.05.2024 को वादी द्वारा थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि वादी की बहन को अभियुक्त सलमान पुत्र अतीक निवासी कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर बहला फुसलाकर ले गया तथा अभियुक्त द्वारा वादी के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई । इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 251/2024 धारा 366/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



दिनांक 31.05.2024 को पुलिस द्वारा अपहर्ता को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में धारा 323 भादवि की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.06.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सलमान पुत्र अतीक निवासी कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।

विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सलमान पुत्र अतीक निवासी कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 जोगेन्द्र सिंह बैसला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
2. का0 1943 दीपक पुण्डीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना स्योहारा

दिनांक 01.06.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 233/24 धारा 363/366/376 भादवि में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.05.2024 को वादिनी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 17.05.2024 को अभियुक्त (बाल अपचारी) वादिनी की पुत्री को बहला - फुसलाकर अपने साथ ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा मु0अ0सं 233/24 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया। दिनांक 20.05.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी तथा अभियोग में अभियुक्त रहमत अली उर्फ काले पुत्र फैय्याज अहमद निवासी ग्राम टकरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।



कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.06.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 233/24 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधि0 में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त रहमत उर्फ काले पुत्र फैय्याज अहमद निवासी ग्राम टकरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट- दिनांक 23.05.2024 को उपरोक्त अभियोग से संबंधित एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रहमत उर्फ काले पुत्र फैय्याज अहमद नि0 ग्राम टकरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2. उ0नि0 कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

3. आरक्षी 1962 रजनीश थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना शेरकोट

दिनांक 01.06.2024

थाना शेरकोट पुलिस ने 10 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.06.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. रोहित कुमार पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम मन्धौरा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2. सनी पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम मन्धौरा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3. रामअवतार पुत्र सरजीत निवासी ग्राम मन्धौरा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
4. कैलाश पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम भिक्कावाला थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
5. मनोज पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम भिक्कावाला थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
6. चन्द्रपाल पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम नूरपुर छीपरी थाना शेरकोट जनपद
7. विकास पुत्र पुष्पराज निवासी ग्राम हादकपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
8. आकाश पुत्र पुष्पराज निवासी ग्राम हादकपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
9. बेबिस पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम हादकपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
10. भूपेन्द्र सिंह पुत्र होरी सिंह निवासी ग्राम हादकपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 आशीष पुनिया थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3. हे0का0 643 विजयपाल सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

4. हे0का0 166 अंकुर पंवार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
5. का0 2426 शक्तिराम थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
6. का0 979 सचिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
7. का0 1184 मोहित कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 01.06.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 456/24 धारा 376-D भादवि से सम्बंधित 03 अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त कार सहित लिया पुलिस हिरासत में।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.06.2024 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि वादिनी के पूर्व से परिचित तीन युवक 1.सैंकी पुत्र तेजपाल सिंह निवासी फरीदपुर मान थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर 2.रोबिन पुत्र मुनेश निवासी फरीदपुर दरगाह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3.अंकित पुत्र देवेन्द्र सिंह



निवासी सिखेडा नवादा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर वादिनी को कार में बैठाकर अपने साथ ले गये तथा वादिनी के साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 456/24 धारा 376-D भादवि बनाम 1.सैंकी 2.रोबिन व 3.अंकित उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्तगण 1.सैंकी उर्फ दीक्षित चौधरी पुत्र तेजपाल सिंह निवासी फरीदपुर मान थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर 2.रोबिन पुत्र मुनेश निवासी फरीदपुर दरगाह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3.अंकित पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी सिखेडा नवादा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार सहित पुलिस हिरासत में लिया गया है। पूछताछ कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस हिरासत में लिये गये अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.सैंकी पुत्र तेजपाल सिंह निवासी फरीदपुर मान थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 2.रोबिन पुत्र मुनेश निवासी फरीदपुर दरगाह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.अंकित पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी सिखेडा नवादा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार

पुलिस टीम का विवरण –

- 1.श्री सुशील कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.व0उ0नि0 श्री मृदुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 मोहित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 4.कां0 विवेक राणा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना स्योहारा

दिनांक 01.06.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 173/24 धारा 323/307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.05.2024 को वादी श्री पंकज पुत्र नौवत सिंह निवासी ग्राम मिर्जालीपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.मंगल सिंह पुत्र नामालूम 2.विशाल पुत्र मंगल सिंह 3.विकास पुत्र मंगल सिंह निवासीगण ग्राम मिर्जालीपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के भाई वीरेन्द्र सिंह के साथ गाली गलौच की गयी तथा अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई को जान से मारने की नियत से चाकू से वार कर घायल कर दिया व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 173/24 धारा 323/307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.06.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 173/24 धारा 323/307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त विकास पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम मिर्जालीपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.विकास पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम मिर्जालीपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी 678 सतीश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।